डिक्री

(आर्डर 20, रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

(Civil Procedure Code Appendix D-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम किशनगढ़ (अजमेर)

व इजलास अर्चना चौधरी आर.ए.एस.

1. श्री बालूराम पुत्र स्व0 श्री कालू जाति जाट निवासी ग्राम बरना तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

वादी

बनाम

1. श्रीमती जेठी पत्नि स्व0 श्री हनुमान जाति कुम्हार निवासी ग्राम बरना तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
2. श्रीमती नन्दू देवी पुत्री स्व0 श्री हनुमान पत्नि स्व0 श्री गोपाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम बरना तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
3. श्रीमती काली पुत्री स्व0 श्री हनुमान पत्नि श्री फूलचन्द जाति कुम्हार निवासी ग्राम बरना तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
4. श्रीमती मन्दराज पुत्री स्व0 श्री हनुमान पत्नि श्री लालचन्द जाति कुम्हार निवासी ग्राम बरना तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
5. श्रीमती मोती पुत्री स्व0 श्री हनुमान पत्नि श्री नन्दराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम बरना तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
6. श्री शम्भू पुत्र स्व0 श्री हनुमान जाति कुम्हार निवासी ग्राम बरना तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
7. श्रीमती सुशीला देवी पुत्री स्व0 श्री मांगू उर्फ मांगीलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम बरना तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
8. श्री कान्हाराम पुत्र स्व0 श्री मांगू उर्फ मांगीलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम बरना तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
9. श्रीमती काली देवी पुत्री स्व0 श्री मांगू उर्फ मांगीलाल पत्नि श्री भागचन्द जाति कुम्हार निवासी ग्राम बरना तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
10. श्री कैलाश पुत्र स्व0 श्री मांगू उर्फ मांगीलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम बरना तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
11. तहसीलदार किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
12. उप पंजीयक, किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् : 88, 89 व 209 आर. टी. एक्ट

मुकदमा नम्बर : 267/2018

निर्णय दिनांक : 27/08/24

न्यायालय हाजा में वकील पक्षकारान् की उपस्थिति में आज तारीख 27/08/24 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी अर्चना चौधरी, आर.ए.एस. के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत सहमती जवाब एवं पक्षकारान् द्वारा निष्पादित राजीनामा अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाकर हाल ग्राम बालापुरा स्थित वर्तमान ख0नं0 577 रकबा 01–05–00 किस्म नहरी–प्रथम भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तहसीलदार किशनगढ़ को उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है।

यह डिक्री आज तारीख 27/08/24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(अर्चना चौधरी)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)
राजस्व वाद संख्या 267/2018

1. श्री बालूराम पुत्र स्व0 कालू जाति जाट निवासी ग्राम बरना तहसील किशनगढ़, अजमेर
वादी

बनाम

1. श्रीमती जेठी पत्नि स्व0 हनुमान जाति कुम्हार निवासी ग्राम बरना तहसील किशनगढ़, अजमेर (फौत)
2. श्रीमती नन्दू देवी पुत्री स्व0 श्री हनुमान पत्नि स्व0 श्री गोपाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम बरना तहसील किशनगढ़, अजमेर
3. श्रीमती काली पुत्री स्व0 श्री हनुमान पत्नि श्री फूलचन्द जाति कुम्हार निवासी ग्राम बरना तहसील किशनगढ़, अजमेर
4. श्रीमती मन्दराज पुत्री स्व0 श्री हनुमान पत्नि श्री लालचन्द जाति कुम्हार निवासी ग्राम बरना तहसील किशनगढ़, अजमेर
5. श्रीमती मोती पुत्री स्व0 श्री हनुमान पत्नि श्री नन्दराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम बरना तहसील किशनगढ़, अजमेर
6. श्री शम्भू पुत्र स्व0 हनुमान जाति कुम्हार निवासी ग्राम बरना तहसील किशनगढ़ अजमेर
7. श्रीमती सुशीला देवी पुत्री स्व0 श्री मांगू उर्फ मांगीलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम बरना तहसील किशनगढ़, अजमेर
8. श्री कान्हाराम पुत्र स्व0 श्री मांगू उर्फ मांगीलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम बरना तहसील किशनगढ़, अजमेर
9. श्रीमती काली देवी पुत्री स्व0 श्री मांगू उर्फ मांगीलाल पत्नि श्री भागचन्द जाति कुम्हार निवासी ग्राम बरना तहसील किशनगढ़, अजमेर
10. श्री कैलाश पुत्र स्व0 श्री मांगू उर्फ मांगीलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम बरना तहसील किशनगढ़, अजमेर
11. तहसीलदार किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
12. उप पंजीयक, किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 92(क), 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

उपस्थितः श्री तरूण कुमावत वादी अभिभाषक
श्री श्याम मनोहर पुरोहित प्रतिवादीगण अभिभाषक

नि.दि.-27/08/24

<u>निर्णय</u>

यह वाद वादी द्वारा जरिये वकील श्री रामधन पोषक के माध्यम से अन्तर्गत धारा 88, 92(क), 188 राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

2. संक्षेप में प्रकरण का सार इस प्रकार है–

2.1 वादी द्वारा अपने वाद में निवेदन किया है कि वादी के पिता कालू पुत्र हरबख्श जाति जाट निवासी ग्राम बरना का देहान्त हो चुका है एवं वादी उनका एकमात्र जाईन्दा पुत्र संतान है। वाद अधीन भूमि ग्राम बरना में स्थित सेटलमेंट ख0नं0 392 एकीकरण ख0नं0 627 वर्तमान ख0नं0 577 रकबा 01–05–00 किस्म नहरी–प्रथम, हाल ग्राम बालापुरा पटवार क्षेत्र बालापुरा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बरना तहसील किशनगढ़

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

जिला अजमेर को वादी के पिता कालू वल्द हरबख्श जाट ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के पिता हनुमान वल्द गोरू एवं प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 10 के पिता मांगू उर्फ मांगीलाल पुत्र गोरू से जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.01.1972 से खरीद की थी तथा प्रतिवादी सं0 1 लगायत 10 के पितागण द्वारा विक्रित भूमि की प्रतिफल राशि प्राप्त कर भूमि का भौतिक कब्जा भी वादी के पिता को सुपुर्द किया था। उपरोक्त विक्रय पत्र को उप पंजीयक कार्यालय किशनगढ़ के समक्ष पुस्तक संख्या 1 भाग 54 के पृष्ठ संख्या 163 से 165 पर दिनांक 10.01.1972 को क्र0सं0 8 पर पंजीबद्ध किया गया, जो मूल विक्रय पत्र आज दिनांक तक वादी के पिता की मृत्यु के बाद वादी के कब्जे में चला आ रहा है। वादी एवं उनके पिता कालू जाट जो कि निरक्षर थे, उक्त निरक्षरता की वजह से उपरोक्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद नहीं करवा सके, इसलिये आज दिनांक तक वादी के पिता के हक में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के बावजूद भी राजस्व रिकॉर्ड में हनुमान वल्द गोरू व मांगू वल्द गोरू के नाम से प्रविष्टिया बदस्तूर कायम चली आ रही है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी को उपरोक्त राजस्व रिकॉर्ड की अविधिक प्रविष्टियों के आधार पर उसकी भूमि पर आकर बेदखल करने की धमकी दी और कहा कि हमारे पिता के नाम नामान्तकरण होने से वे लोग उनका विरासत नामान्तकरण दर्ज करवाकर भूमि को विक्रय कर देंगे और वादी को उसकी खरीदशुदा भूमि से बेदखल कर देंगे। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 द्वारा उपरोक्त विरासती नामान्तकरण दर्ज करवाने के लिये उन्होने ग्राम पंचायत बरना से सजरा प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर लिया है और उनके पिता द्वारा पूर्व में ही विक्रय की गई भूमि का नामन्तकरण दर्ज नहीं होने का नाजायज लाभ उठाकर पुनः अपना विरासती नामान्तरण दर्ज करवाने हेतु उद्यत है। उपरोक्त भूमि वादी के पिता द्वारा खरीद किये जाने के कारण वादी उपरोक्त कृषि भूमि पर आज दिनांक तक काबिज काश्तकार है इसलिये वादी इस भूमि का बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि बाबत् वादी से भविष्य में किसी प्रकार का विवाद न करने एवं उक्त भूमि वादी के नाम करवा देने का आश्वासन देने पर वादी ने अपना पूर्व में दायर शुदा वाद पत्र राजस्व कैम्प बरना में दिनांक 23.05.2018 को विड्रो कर लिया गया था, परन्तु प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 10 द्वारा वादी को दिनांक 30.07.2018 को उक्त भूमि का अवैध, अनुचित रूप से अपने हक में विरासत नामान्तकरण करवाकर विक्रय करने, बलात् बेदखल करने की धमकी दी है। प्रतिवादीगण का उक्त कृत्य गैर कानूनी, अवैध अनुचित है। उक्त गैर कानूनी कृत्य

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

कारित न करने हेतु प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 10 तक को स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबन्द किया जाना अति आवश्यक है अन्यथा वादी को असीम क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी प्रकार से संभव नहीं होगी। अतः वादी के पक्ष में वादग्रस्त भूमि ख0नं0 577 रकबा 01–05–00 किस्म नहरी प्रथम वर्तमान ग्राम बालापुरा पटवार क्षेत्र बालापुरा, भू0अ0 निरीक्षक क्षेत्र बरना तहसील किशनगढ़ में बतौर खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जावे एवं प्रतिवादी सं0 1 लगायत 10 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबन्द किया जावे कि वे राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम के आधार पर वादी को प्रश्नगत आराजियात् के कब्जे काश्त में बाधा कारित न करे, अपने हक में विरासत नामान्तकरण नहीं करवाये, भूमि को विक्रय नहीं करे, बलात् बेदखल नहीं करे, उपयोग उपभोग में बाधा कारित नहीं करे तथा प्रतिवादी सं0 12 व 11 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री से पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादी सं0 12 विक्रय पत्र पंजीबद्ध नहीं करे तथा प्रतिवादी सं0 11 विक्रय पत्र आदि के आधार पर नामान्तकरण आदि तस्दीक, स्वीकृत नहीं करे।

3. प्रतिवादी को वाद के सम्मन वास्ते स्थिरीकरण के लिये (आदेश 5 नियम 1 व 5 व्यवहार प्रकिया संहिता) के तहत् सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी सं0 1 से 6 की ओर से वकील श्री श्याम मनोहर पुरोहित द्वारा एवं प्रतिवादी सं0 7 से 10 की ओर से वकील श्री भवानी सिंह द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी सं0 6 व 11, 12 का जवाब अवसर बन्द किया गया तथा शेष प्रतिवादीगण की ओर से वकील द्वारा जवाब दावा पेश किया।

3.1 वकील प्रतिवादी सं0 1 लगायत 5 द्वारा जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी सं0 1 से 6 के पति/पिता द्वारा वाद पत्र में वर्णित कृषि आराजी वादी के पिता अथवा अन्य किसी भी व्यक्ति को दिनांक 03.01.2012 अथवा अन्य किसी दिनांक को विक्रय नहीं की गई है। वाद अधीन कृषि प्रतिवादीगण के पूर्वजों के समय से लगातार प्रतिवादीगण के ही भौतिक कब्जे काश्त में चली आ रही है। वादी अथवा उसके पति का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा। प्रतिवादीगण अपनी पैतृक सम्पत्ति को स्वयं के नाम से कराने हेतु सजरा प्रमाण पत्र प्राप्त किया है जिसके संबंध में वादी अथवा अन्य किसी भी व्यक्ति का किसी प्रकार की आपत्ति करने का अधिकार नहीं है। वादी द्वारा पूर्व प्रस्तुत वाद दिनांक 23.05.2018 को इस कथन के साथ विड्रो किया गया कि वादी एवं उसके पिता द्वारा कभी भूमि क्रय नहीं की गई है। अतः जवाबकर्ता द्वारा वादी का वाद मय हर्जे खर्चे सहित खारिज करने के आदेश पारित करने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

3.2 प्रतिवादी सं0 7 लगायत 10 द्वारा सहमती का जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि वाद पत्र में वर्णित प्रार्थना वादी को स्वीकार किया जाता है तो जवाबकर्ता को कोई आपत्ति नहीं है। वाद अधीन भूमि का मालिक एवं स्वामी वादी स्वयं ही है। अतः जवाबकर्ता द्वारा वादी का वाद स्वीकार किये जाने में अपनी सहमती व्यक्त की गई।

4. प्रकरण में वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

4.1 वकील वादी द्वारा प्रकरण में अपनी लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि वादी के पिता कालू पुत्र हरबक्श जाट निवासी बरना ने अपने जीवनकाल में हनुमान पुत्र गौरू एवं मांगीलाल पुत्र गौरू के खातेदारी की कृषि भूमि सेटलमेन्ट ख0नं0 392 एकीकरण ख0नं0 627 वर्तमान ख0नं0 577 रकबा 01–05–00 किस्म नहरी प्रथम हाल ग्राम बालापुरा पटवार बालापुरा तहसील किशनगढ़ की 1000/– रूपये रोकड़ी अदा कर क्रय की थी और दिनांक 03.01.1972 को उक्त क्रयशुदा भूमि का बैचाननामा स्व0 कालू पुत्र हरबक्श के पक्ष में विक्रेतागण द्वारा पंजीयन करा दिया गया था। वादी के पिता स्व0 कालू पुत्र हरबक्श द्वारा उक्त विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त भूमि का नामान्तकरण खातेदारी नहीं करवाई जा सकी थी। वादी ने उक्त भूमि की खातेदारी उपरोक्त वर्णित विक्रय पत्र के आधार पर स्व0 कालू पुत्र हरबक्श की एक मात्र जाईन्दा सन्तान होने के नाते स्वयं के नाम करवाये जाने हेतु यह वाद दिनांक 10.08.2018 को पेश किया। मूल विक्रेता हनुमान व मांगीलाल का स्वर्गवास हो चुका हे तथा प्रतिवादीगण को मृतक हनुमान व मांगीलाल के वारिसान होने से पक्षकार बनाया गया है तथा वाद विचारण के दौरान स्व0 हनुमान की पत्नि जेठी देवी का भी स्वर्गवास हो चुका है। उक्त वाद प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् विक्रेतागण के वारिसान जो प्रतिवादीगण है के एवं वादी के मध्य दिनांक 13.09.2022 को राजीनामा हो चुका है जो रिकार्ड पर मौजूद है। दिनांक 13.09.2022 को उक्त राजीनामा पेश करने के पश्चात् माननीय न्यायालय ने राजीनामा रिकार्ड पर रखते हुए वादी को साक्ष्य पेश करने हेतु आदेशित किया था जिस पर वादी ने दिनांक 15.11.2022 को साक्ष्य हेतु स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया जो माननीय न्यायालय द्वारा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया एवं वादी पी.डब्ल्यू.–1 ने अपने सशपथ बयानो में वादी ने वाद पत्र के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी, गिरदावरी एवं वादी के पिता द्वारा क्रय की गई भूमि का पंजीबद्ध विक्रय पत्र एवं पक्षकारान् के मध्य हुए राजीनामें को प्रदर्शित करवाया जो रिकार्ड पर मौजूद है। वादी ने अपनी साक्ष्य बन्द करवाते हुए अन्य कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत करने का निवेदन किया तथा प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई। उपरोक्त वर्णित समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजों के आधार

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

पर वादी वादग्रस्त कृषि भूमि ख0नं0 577 रकबा 01–05–00 किस्म नहरी प्रथम जो वर्तमान में ग्राम बालापुरा पटवार क्षेत्र बालापुरा भू0 अभिलेख निरीक्षक बरना तहसील किशनगढ़ का स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करवाये जाने का अधिकारी है। अतः वादी द्वारा वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश प्रदान का निवेदन किया।

5. हमारे द्वारा वाद पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में गहनता से अवलोकन किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मय शपथ पत्र, दस्तावेजात् एवं प्रतिवादीगण के जवाब दावा तथा पक्षकारान् के मध्य निष्पादित राजीनामा का अद्योपांत अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण सं0 2 लगायत 10 की ओर से वकील श्री श्याम मनोहर पुरोहित द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। प्रकरण में पक्षकारान् के मध्य सहमती अनुसार निष्पादित राजीनामा प्राप्त होने के कारण प्रकरण में विवादंक बिन्दू कायम नहीं किये गये।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज अनुसार हाल ग्राम बालापुरा स्थित वर्तमान ख0नं0 577 रकबा 01–05–00 किस्म नहरी–प्रथम भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के पिता हनुमान वल्द गोरू एवं प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 10 के पिता मांगू उर्फ मांगीलाल पुत्र गोरू के नाम दर्ज रिकार्ड है। पक्षकारान् द्वारा आपसी सहमती से निष्पादित राजीनामा अनुसार उक्त भूमि ख0नं0 577 रकबा 01–05–00 भूमि की वादी को खातेदारी दिये जाने बाबत् सहमती व्यक्त की गई है।

अतः प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत सहमती जवाब एवं पक्षकारान् द्वारा निष्पादित राजीनामा अनुसार वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 92–क, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाकर हाल ग्राम बालापुरा स्थित वर्तमान ख0नं0 577 रकबा 01–05–00 किस्म नहरी–प्रथम भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तहसीलदार किशनगढ़ को उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 27/08/24 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर किये गये। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

(अर्चना चौधरी)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

...गढ़ जिला अजमेर